

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2013—आषाढ़ 7, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2013

क्र. एफ 22-10-13-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 214 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए अर्थात् :—

“(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 127 की उपधारा (3) तथा धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन भिन्न-भिन्न यानों के संबंध में देय अनुकरण व्यय, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उदगृहीत किए जाएंगे, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	यान (वाहन) का प्रकार (2)	प्रति यान रकम (3)
1	स्कूटर, मोटर साईकिल	रुपये 100/-
2	कार, जीप तथा ऑटो रिक्शा	रुपये 300/-
3	मध्यम मोटर यान	रुपये 600/-
4	भारी मोटर यान (खाली)	रुपये 800/-
5	भारी मोटर यान (भरे हुए)	रुपये 1,000/-

No. F 22-10-13-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 138 of Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994 the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 214, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) Towing costs payable under sub-section (3) of Section 127 and sub-section (1) of Section 201 of Motor Vehicle Act, 1988 in respect of different Vehicles shall be levied, as specified below, namely :—

S. No. (1)	Types of Vehicles (2)	Amount per Vehicle (3)
1	Scooter, Motor Cycles	Rs. 100/-
2	Car, Jeep, Auto Rickshaw	Rs. 300/-
3	Medium Motor Vehicles	Rs. 600/-
4	Heavy Motor Vehicle (Unloaded)	Rs. 800/-
5	Heavy Motor Vehicle (Loaded)	Rs. 1000/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.